समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निग -1093-PBR/16

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015–16

मेसर्स सी.आई. बिल्डर्स प्रा.लि.,
182, जोन–1,
एम.पी. नगर, भोपाल
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
एम.एस. बख्शी .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमती सुमन गौड़,
   पत्नि शिवकुमार गौड़,
   निवासी बी–13,
   सिन्धु भवन के पीछे,
   शिवाजी नगर, भोपाल
2. दिनेश बंसल,
   आत्मज श्री वी. एल. बंसल,
   निवासी ई–4/124,
   अरेरा कालोनी, भोपाल .... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा–50, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनॉक 14.03.2016 अन्तर्गत प्रकरण कमांक 6/अ–12/15–16 पारित द्वारा माननीय राजस्व निरीक्षक महोदय, वृत्त तीन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल पक्षकारगण सुमन गौड़ विरूद्ध सी.आई. बिल्डर्स

31/3/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. —पीबीआर/2016 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.4.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमों में राजस्व निरीक्षक के प्रकरण कमांक 6/अ—12/15—16 में पारित आदेश दिनांक 14—3—16 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु राजस्व निरीक्षक के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न नहीं है । निगरानी मेमों के संलग्न राजस्व निरीक्षक का पत्र दिनांक 14—3—16 की प्रति संलग्न है, जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, निर्माण, उपसंभाग कमांक 3, रा.परि.प्रशासन, भोपाल, दिनांक 26—3—16 को सीमांकन किये जाने की सूचना दी गई है और प्रति अनावेदकगण को दी है । इससे स्पष्ट है कि अभी राजस्व निरीक्षक सीमांकन किया जाना है । जहॉ आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया विधिनुकूल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	